"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016— आषाढ़ 10, शक 1938

### वन विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2016

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 03-10/2016/10-1/वन. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-दो में,-

(क) कॉलम (2) की प्रविष्टि "सहायक ग्रेड-1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय" के सामने कॉलम (5) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "75 प्रतिशत, 25 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से" के स्थान पर, अंक एवं चिन्ह "100%" प्रतिस्थापित किया जाये.

(ख) कॉलम (2) की प्रविष्टि "सहायक ग्रेड-1/वृत्त एवं वन मण्डल कार्यालय" के सामने कॉलम (5) में, शब्द "तदैव" के स्थान पर, अंक एवं चिन्ह "100%" प्रतिस्थापित किया जाये.

(ग) अनुसूची-दो के नीचे, टीप का लोप किया जाये.

2. अनुसूची-चार में,-

कॉलम (2) की प्रविष्टि "लेखापाल/सहायक ग्रेड-2" के सामने कॉलम (3) में, शब्द एवं अंक "2. स्नातक हो तथा कनिष्ठ सहायक ग्रेड-2 के रूप में 05 वर्ष की नियमित सेवा एवं सीमित विभागीय परीक्षा उतीर्ण." का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अतुल कुमार शुक्ल**, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2016

क्रमांक एफ 03-10/2016/10-1/वन.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-06-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अतुल कुमार शुक्ल**, सचिव.

Naya Raipur, the 29th June 2016

NOTIFICATION

No. F 03-10/2016/10-1/Forest. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh Class-III (Clerical Cadre) Forest Service Recruitment Rules, 2012, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-II,-

(a) In Column (5) against the entry "Assistant Grade-1/Office of Principal Chief Conservator of Forest" in column (2), for the words, figures and symbols "75%, 25%, through limited Department Examination", the figure and symbol "100%" shall be substituted.

(b) In Column (5) against the entry "Assistant Grade-1/Circle & Division offices" in Column (2), for the symbol "--,,--" the figures and symbols "100%" shall be substituted.

(c) Below Schedule-II, the note shall be omitted.

2. In Schedule-IV,-

In Column (3) against the entry "Accountant/Assistant Grade-2" in column (2), the words and figures "2. Graduate and 05 Years regular Service as junior Assistant Grade-2 and passing limited Departmental Examination" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SUKLA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.